

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 35 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2021 / 234

बउनवान

राज० सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री निशान्त शर्मा पुत्र स्व० श्री मदन गोपाल शर्मा(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) निवासी महेन्द्रा वर्क शॉप के सामने, शिवाजी कॉलोनी, बारों जिला बारों हाल निवासी नामदेव भवन के सामने, शाहबाद रोड, बारों मैसर्स वासुमति एजेन्सी, दीनदयाल पार्क, बारों(राज०)
2. श्री प्रवीण कुमार नागर पुत्र श्री रामचन्द्र नागर(मालिक) निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, खेड़लीगंज, अटरू जिला बारों मैसर्स श्रीराम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मं.सं. 291, शॉपिंग सेन्टर, कोटा(राज०)
3. श्री विजय यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव(नोमिनी) निवासी मुन्डिया, घीनोई, कालाडेरा, जयपुर राजस्थान-303801
4. कम्पनी- सरावगी एग्रो फूड्स प्रा०लि० ई-44 ई, रिको एरिया, कालाडेरा, जयपुर पिन नं०-303801
5. श्री विनोद कुमार ठोलिया पुत्र श्री प्रभुदयाल ठोलिया(पार्टनर) निवासी मकान सं० 155, जय जीवन कॉलोनी II, टोंक रोड, जयपुर(राज०) मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज, खसरा नं० 1080 / 1, रोड नं० 09 रिको बिंदायका, जयपुर(राज०)
6. श्रीमति स्वाति मारू पत्नि श्री रंगनाथ मारू(पार्टनर) निवासी मकान सं० 44, नैमी नगर, जयपुर(राज०) मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज, खसरा नं० 1080 / 1, रोड नं० 09 रिको बिंदायका, जयपुर(राज०)
7. फर्म मैसर्स- विनायक इण्डस्ट्रीज, खसरा नं० 1080 / 1, रोड नं० 09 रिको बिंदायका, जयपुर(राज०) 302012
(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थिति :- 1- श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2- श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 01.07.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2020 को मैसर्स वासुमति एजेन्सी, दीनदयाल पार्क, बारों जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री निशान्त शर्मा पुत्र स्व० श्री मदन गोपाल शर्मा(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 06.11.2020 एवं क्रमांक 937 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml मूल पॉलीपैक के 50 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml मूल पॉलीपैक में से 04 पैकेट 500 ml वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री निशान्त शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदन गोपाल शर्मा(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) को 100/- रुपये (अक्षरे सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml मूल पॉलीपैक को अच्छी तरह से हिलाकर एक रूप करके चार साफ, सूखे, खाली, चौड़े मुख की कांच की शीशीयों में अलग-अलग डालकर, प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मोलीन बतौर प्रिजरवेटिंग डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाएं एवं लेबल तैयार कर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1105 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1105 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री निशान्त शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदन गोपाल शर्मा(मौके पर मौजूद विक्रेता/मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/368 दिनांक 30.12.2020 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 500/PHL/kota/Act/2020/613 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा क्रम 1 ता 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अवैधानिक तरीके से प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 500/PHL/kota/Act/2020/613 दिनांक 22.12.2020 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **फुलक्रीम पाश्चुरीकृत दूध(ब्रान्ड सरावगी)** 500 ml खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 500/PHL/kota/Act/2020/613 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 25,000/- रुपये (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **01.07.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)